तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज **न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम0 3 अजमेर** **निगरानी याचिका सख्या 68/2023** **सीआईएस संख्या 363/2023** **भरत सिंह राठौड बनाम सरकार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.05.2026	वकुलाय फरिकेन उपस्थित। निगरानीकर्ता/मुलजिम भरत सिंह की ओर से गैर निगरानीकारान के विरूद्ध यह निगरानी याचिका विचारण न्यायालय विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण), संख्या 01 अजमेर द्वारा फौजदारी परिवाद सं. 2534/22 उनवानी श्रीमती सिमरन बनाम भरत सिंह राठौड में दिनांक 22.11.2023 को पारित आक्षेपित आदेश जिसके द्वारा निगरानीकर्ता/मुलजिम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 311 द.प्र.सं. का खारिज किया गया, से व्यथित होकर माननीय सैशन न्यायालय, अजमेर में प्रस्तुत की गई, जहां से अंतरित होकर विधिनुसार सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्राप्त हुई। बहस निगरानी याचिका सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये बहस की गयी व निवेदन किया गया कि प्रकरण में परिवादीया से जिरह का अवसर विचारण न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया है, जिसे खोलने बाबत प्रार्थना पत्र उनके द्वारा पेश किया गया था, जो विचारण न्यायालय द्वारा गलत तौर पर आक्षेपित आदेश पारित करके खारिज कर दिया गया है। यदि परिवादीया से जिरह का अवसर निगरानीकार/मुलजिम को नहीं दिया गया तो उसके साथ अन्याय होगा। अतः निगरानी याचिका स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जावे व जिरह का अवसर निगरानीकार/मुलजिम को प्रदान किया जावे। जिसके जवाब बहस में अधिवक्ता गैर निगरानीकार/परिवादीया की ओर से उक्त तर्कों का विरोध कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में अभियुक्त का प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त किया गया था। फिर धारा 311 द.प्र.स. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर न्यायोचित प्रतीत होने पर कोस्ट पर पुनः अवसर दिया गया था तथापि कोस्ट की राशि अदा नहीं करने व जिरह नहीं करने पर जिरह का अवसर पुनः बंद किया गया है। तत्पश्चात पुनः प्रार्थना पत्र जिरह खोलने का लगाया गया था, जो कि आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज किया गया है, जो आदेश पूर्णतः विधि सम्मत आदेश है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है। साथ ही निवेदन किया गया कि प्रकरण में मुलजिम द्वारा विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया जा रहा है तथा विचारण न्यायालय द्वारा मुलजिम को मफरूर घोषित किया जा चुका है। किसी प्रकार निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज की जावे। वहीं दौराने बहस अपर लोक अभियोजक की ओर से विधिनुसार आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।	

Authenticated document

मेरे द्वारा बहस के प्रकाश में निगरानी याचिका एवं पारित आक्षेपित आदेश एवं विचारण न्यायालय की आदेशिकाओं की प्रतियों का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय के समक्ष यह बिन्दु अवधारणार्थ उपस्थित है किः—

''क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 22.11.2023 अशुद्ध, अविधिक, अनौचित्यपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण उक्त आदेश अपास्त किये जाने योग्य है?''

विचारण न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में दिनांक 24.07.23 को अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा करने हेतु उपस्थित नहीं आने पर प्रतिपरीक्षा का अवसर बंद किया गया था। तत्पश्चात आदेश दिनांक 22.08.23 द्वारा अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत धारा 311 द.प्र.सं. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 2000 रूपये कोस्ट राशि अधिरोपित कर जिरह का अवसर दिया गया था। जिसके आगामी नियत पेशी 25.10.23 पर अभियुक्त अनुपस्थित था तथा अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से ना तो कोस्ट राशि अदा की गई ना ही जिरह की गई, जिससे जिरह का अवसर पुनः बंद कर दिया गया। तत्पश्चात आक्षेपित आदेश दिनांक 22.11.23 पारित कर अभियुक्त का प्रार्थना पत्र बाबत प्रतिपरीक्षा खोलने खारिज किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध विचारण न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में वर्तमान में पत्रावली अभियुक्त की मफरूरी में दाखिल दफ्तर की जा चुकी है। चूंकि प्रकरण में पूर्व में विचारण न्यायालय द्वारा कोस्ट पर जिरह का अवसर दिया जा चुका था तथापि पुनः अभियुक्त की ओर से जिरह नहीं की गई, ना ही कोस्ट राशि जमा करवाई गई है, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा पुनः आक्षेपित आदेश पारित कर जिरह का अवसर समाप्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में मुलजिम को पर्याप्त अवसर जिरह बाबत दिया जाना दर्शित है तथापि उसके द्वारा जिरह नहीं की गई है तथा वर्तमान में भी मुलजिम मफरूर है, जिससे स्पष्ट है कि उसके द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग किया जा रहा है तथा मुलजिम का आचरण भी प्रकरण में स्वंय के स्तर पर ही जिरह नहीं करने का रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध परिस्थितियों अनुसार विद्वान विचारण न्यायालय आदेश पारित करना दर्शित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में उक्त पारित आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि दर्शित नहीं होने से कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायालय उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में न्यायोचित नहीं पाता है। अतः निगरानीकर्ता/मुलजिम की ओर से प्रस्तुत हस्तगत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज किये जाने एवं आलौच्य आदेश पुष्टि किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतः निगरानीकर्ता/मुलजिम भरत सिंह राठौड द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक

Authenticated document

	22.11.2023 को पुष्ट किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति विचारण न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है, पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। **(नीरज गुप्ता)** **अपर सेशन न्यायाधीश,** **क्रम–3, अजमेर**	

Authenticated document